न्यायालय :— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम (म.प्र.)
—: समक्ष — श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया :—

Registration No.	RCT- **58/2018**
Filing No.	RCT-**414/2018**
CNR No.	MP0501-**000539-2018**
Date of Filing	16-02-2018

प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राइक फोर्स, नर्मदापुरम, म0प्र0 के वन अपराध क्र. **28060/09** अंतर्गत धारा—2(16बी)9, 39, 44, 48ए, 50 वन्य प्राणी (सरंक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा— संशोधित, 2006) से उद्‌भूत आपराधिक प्रकरण।

// नि र्ण य //
(आज दिनांक **13/12/2022** को घोषित)

[RCT Case No. 58/2018]

अभियोजन	प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राइक फोर्स, नर्मदापुरम, जिला—नर्मदापुरम(म.प्र.)
अभियोजन द्वारा	**श्री अरूण पठारिया,** एडीपीओ.
अभियुक्तगण	(1) हरप्रसाद आत्मज मुन्नालाल दाहिया उम्र करीब 23 साल, निवासी—बलवीर नगर, भोपाल, तहसील व जिला भोपाल (म0प्र0) (2) आसिफ आयु करीब 35 वर्ष आत्मज रईस खान, निवासी—47 पंचशील नगर, भोपाल, तहसील व जिला भोपाल (म0प्र0)
अभियुक्त हरप्रसाद द्वारा **अभियुक्त आसिफ द्वारा**	**श्री मीर जहीर खान** अधिवक्ता। **सुश्री नाजनीन खान** अधिवक्ता।

Cont. Page No. 1

श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

अपराध की तारीख	09.01.2018
पी.आर.ओ. की तारीख	09.01.2018
अभियोग पत्र की तारीख	16.02.2018
आरोपों के विरचना की तारीख	17.07.2018
आरोप पूर्व साक्ष्य प्रारम्भ किए जाने की तारीख	24.09.2019
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	09.11.2022
निर्णय की तारीख	13.12.2022
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तारीख	**कंडिका–40 अनुसार**

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किए जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दंडोदश	धारा 428 दप्रसं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1	**हरप्रसाद**	**09.01.18**	**10.03.18**	धारा 2(16बी)9, 39, 44, 48ए, 50 वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972	**दोषसिद्धि**	**कंडिका क0 40 अनुसार**	**59**

Cont. Page No. 2

श्रीमती [illegible]
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

				(यथा—संशोधित, 2006)			
2	आसिफ	09.01.18	24.03.18	—तदैव—	दोषसिद्धि	कंडिका क0 40 अनुसार	73

अभियोजन के साक्षियों की सूची

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
अ.सा.1	मुकेश कुमार पटेल	वन विभाग साक्षी
अ.सा.2	पदमसिंह राजपूत	वन विभाग साक्षी
अ.सा.3	जसवंत कुमार सिंह	वन विभाग साक्षी
अ.सा.4	डॉ0 गुरूदत्त शर्मा	वन विभाग साक्षी
अ.सा.5	संदेश माहेश्वरी	विवेचना अधिकारी

बचाव साक्षियों की सूची

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
ब.सा.1	आरिफ खान	पड़ोसी साक्षी
ब.सा.2	नसरीन खान	आरोपी आरिफ को पहचानने का साक्षी

अभियोजन प्रदर्शों की सूची—

सरल क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्र.पी—1 / अ.सा.1 / 24.09.19	मौका पंचनामा
2	प्र.पी—2 / अ.सा.1 / 24.09.19	जप्ती पत्रक
3	प्र.पी—3 / अ.सा.1 / 24.09.19	जप्ती पत्रक

Cont. Page No. 3

/12/2022
श्रीमती प्रीतु वर्मा कटारिया
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)

4	प्र.पी–4 / अ.सा.1 / 24.09.19	जप्ती पत्रक
5	प्र.पी–5 / अ.सा.1 / 24.09.19	मौका नक्शा
6	प्र.पी–6 / अ.सा.1 / 24.09.19	पंचनामा
7	प्र.पी–7 / अ.सा.1 / 24.09.19	जप्ती पत्रक
8	प्र.पी–8 / अ.सा.1 / 24.09.19	आरोपी हरप्रसाद के कथन
9	प्र.पी–9 / अ.सा.1 / 24.09.19	आरोपी आसिफ के कथन
10	प्र.पी–10 / अ.सा.1 / 24.09.19	आरोपी का गिरफ्तारी पत्रक
11	प्र.पी–11 / अ.सा.1 / 24.09.19	आरोपी का गिरफ्तारी पत्रक
12	प्र.पी–12 / अ.सा.1 / 24.09.19	गिरफ्तारी की सूचना
13	प्र.पी–13 / अ.सा.1 / 24.09.19	गिरफ्तारी की सूचना
14	प्र.पी–14 / अ.सा.1 / 24.09.19	साक्षी मुकेश कुमार के कथन
15	प्र.पी.15 / अ.सा.2 / 28.11.19	पीआरओ.
16	प्र.पी.16 / अ.सा.2 / 28.11.19	सौपे जाने का पंचनामा
17	प्र.पी.17 / अ.सा.4 / 07.01.20	चिकित्सीय प्रतिवेदन
18	प्र.पी.18 / अ.सा.5 / 07.01.20	प्रतिवेदन
19	प्र.पी.19 / अ.सा.5 / 07.01.20	प्रमाण पत्र
20	प्र.पी.20 / अ.सा.5 / 07.01.20	प्रमाण पत्र
21	प्र.पी.21 / अ.सा.5 / 07.01.20	न्यायालय में दिया गया आवेदन
22	प्र.पी.22 / अ.सा.5 / 07.01.20	प्रतिवेदन
23	प्र.पी.23 / अ.सा.5 / 07.01.20	प्रतिवेदन दिनांक 19.01.18
24	प्र.पी.24 / अ.सा.5 / 07.01.20	वाहन के स्वामी के संबंध में प्रतिवेदन
25	प्र.पी.25 / अ.सा.5 / 07.01.20	वाहन के स्वामी के संबंध में

Cont. Page No. 4

श्रीमती रीपु [illegible] कटारिया
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला [illegible] (म.प्र.)

		प्रतिवेदन
26	प्र.पी.26/अ.सा.5/07.01.20	साक्षी पदम राजपूत का बयान
27	प्र.पी.27/अ.सा.5/07.01.20	अभियोग पत्र

बचाव पक्ष के प्रदर्श

सरल क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	निरंक	निरंक

अन्य जप्तशुदा वस्तुएं/आर्टिकल

सरल क्रमांक	आर्टिकल संख्या	विवरण
1	आर्टिकल ए–1	सर्च रिपोर्ट
2	आर्टिकल ए–2	प्रतिवेदन

01. अभियुक्तगण **हरप्रसाद एवं आसिफ** के विरूद्ध 'धारा–2(16बी)9, 39, 44, 48ए, 50 का उल्लंघन होकर धारा 51(1) वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा–संशोधित, 2006) के अधीन आरोप इस प्रकार है कि उन्होंने दिनॉक 09.01. 2018 को हबीबगंज स्टेशन के पास पत्रकार कालोनी, नेहरू नगर रोड, भोपाल के पास अन्य सहयोगी के साथ मिलकर एक नग सेण्डबोआ सांप और एक लाल मुंह का बंदर, जो कि प्रतिषिद्ध श्रेणी के वन्य प्राणी होकर, शासकीय सम्पत्ति है, को बिना किसी अनुज्ञप्ति के, उनको जंगल से पकड़कर (शिकार कर) अवैध रूप से लाल मुँह के बंदर को जाल में बंदी बनाकर और सेण्डबोआ सॉप को थैले में छुपाकर रखकर, विक्रय एवं व्यापार करने के प्रयोजन से उनका परिवहन कर रहे थे। सेण्डबोआ सॉप वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अनुसूची iv का प्राणी है एवं लाल मुँह का बंदर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची ii भाग–1 का वन्य प्राणी है, जो कि प्रतिबंधित श्रेणी के वन्य प्राणी है।

Cont. Page No 5

श्रीमती अीतु पटी कटारिया
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

02(i). अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनॉक 09.01.2018 को क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स, होशंगाबाद में पदस्थ प्रभारी अधिकारी के द्वारा मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि काले रंग के स्कूटर वाहन क0 एम.पी.04, एन.एन. 0443 से दो व्यक्ति वन्य प्राणी सैण्डबोआ की खरीद फरोख्त के संबंध में नेहरू नगर से हबीबगंज रेलवे स्टेशन जाने वाले है। उक्त आशय की सूचना क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स, होशंगाबाद में दिए जाने पर वहां पदस्थ वनपाल मुकेश पटेल पदमसिंह राजपूत, वनरक्षक कुमारी वंदना शर्मा, वनरक्षक मुकेश द्विवेदी, शासकीय वाहन बुलेरो से मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुँचे तो वहां पर पत्रकार कालोनी की ओर से हबीबगंज रोड पर काले रंग की स्कूटर पर दो लोग आ रहे थे, जिन्हें रोककर उनसे पूछताछ की गई। गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति ने अपना नाम आसिफ बताया और पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम हरप्रसाद बताया। उनके पास रखे सफेद रंग के थैले की जॉच करने पर उसमें रेड सेण्डबोआ दो मुँह का सॉप मिला। सॉप के संबंध में कागजात पूछने पर कोई कागजात न होना बताया। उनकी गाड़ी की तलाशी लेने पर गाड़ी में रखा एक तौला कांटा और एक इंची टेप मिला था। मौके पर मौका पंचनामा प्रदर्श पी–1 का पंचनामा बनाया जाकर आरोपी हरप्रसाद से उक्त सॉप की जप्ती की गई।

02(ii). वनरक्षक पदमसिंह राजपूत द्वारा जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–2 तैयार किया गया। आरोपी आसिफ के स्कूटर, स्प्रिंग बेलेंस और एक टेप, एक मोबाइल को जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–3 बनाया गया। आरोपी हरप्रसाद से एक मोबाइल जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–4 बनाया गया। उसके समक्ष पदमसिंह राजपूत वनरक्षक के द्वारा मौका नक्शा प्रदर्श पी–5 बनाया गया। पदम सिंह राजपूत (अ.सा.2) द्वारा पी.ओ.आर. क0 28060/09 प्रदर्श पी–15 जारी किया गया। वन्य प्राणी को निर्मुक्त करने का पंचनामा प्रदर्श पी–16 बनाया गया। दिनांक 10.01.2018 को आरोपी हरप्रसाद की निशादेही पर उनके निवास स्थान से एक लाल मुँह के बंदर एवं एक लोहे की चैन की जप्ती की जाकर पंचनामा प्रदर्श पी–6 बनाया जाकर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–7 बनाया गया। आरोपीगण के कथन प्रदर्श पी–8 एवं पी–9 लिये जाकर उन्हें राज्य स्तरीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स, कार्यालय, भोपाल द्वारा आरोपीगण को

Cont. Page No. 6

13/12/2019
श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी–10 एवं पी–11 बनाया गया। आरोपीगण की गिरफ्तारी की सूचना उनके परिवारजन को दी जाकर प्रदर्श पी–12 एवं पी–13 का पंचनामा बनाया गया। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। प्रकरण में जप्त बंदर एवं सेण्डबोआ का मेडिकल परीक्षण कराने के संबंध में वन्यप्राणी पशु चिकित्सक सतपुड़ा टाईगर रिजर्व होशंगाबाद को पत्र प्रदर्श पी–18 लिखा गया। सेण्डबोआ सॉप एवं लाल मुँह के बंदर की पहचान के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी–19 एवं पी–20 बनाया गया। आरोपीगण से जप्त मोबाइलों को फारेन्सिक जांच कराने हेतु एस टी.एस.एफ. भोपाल को पत्र प्रदर्श पी–23 लिखा गया। प्रकरण की संपूर्ण जांच उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध वन अपराध क्र0 28060/09 वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा–संशोधित 2006) में परिभाषित धारा 2(16बी), 9, 39, 44, 48(ए), 50, 51 के तहत् परिवाद पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03. मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा–संशोधित 2006) में परिभाषित धारा 2(16बी)9, 39, 44, 48ए, 50 का उल्लंघन होकर धारा 51(1) के अंतर्गत् आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर, अभियुक्तगण ने जुर्म अस्वीकार कर, विचारण चाहा, तदनुसार उनका अभिवाक् अंकित किया गया। अभियुक्तगण का परीक्षण धारा 313 दं0प्र0सं0 के अधीन किये जाने पर बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करना व्यक्त करते हुए उसने बचाव लिया है कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फंसाया गया है। आरोपीगण की ओर से बचाव में साक्षी आरिफ खान (अ.सा.1) एवं नसरीन खान (अ.सा.2) की साक्ष्य करायी गयी है।

04. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में मुकेश कुमार पटेल (अ.सा.1), पदमसिंह राजपूत (अ.सा.2), जसवंत कुमार सिंह (अ.सा.3), डॉ0 गुरूदत्त शर्मा (अ.सा.4) एवं संदेश माहेश्वरी (अ.सा.5) को परीक्षित कराया है। बचाव पक्ष की ओर से साक्षी आसिफ खान (अ.सा.1) एवं नसरीन खान (अ.सा.1) का परीक्षण कराया गया है।

Cont. Page No. 7

श्रीमती [illegible] कटारिया
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

05. प्रकरण में निर्णय हेतु निम्न अवधारणीय प्रश्न है :–

क्या अभियुक्तगण द्वारा 09.01.2018 को हबीबगंज स्टेशन के पास पत्रकार कालोनी, नेहरू नगर रोड, भोपाल के पास अन्य सहयोगी के साथ मिलकर एक नग सेण्डबोआ सांप और एक लाल मुंह का बंदर, जो कि प्रतिषिद्ध श्रेणी के वन्य प्राणी होकर, शासकीय सम्पत्ति है, को बिना किसी अनुज्ञप्ति के, उनको जंगल से पकड़कर (शिकार कर) अवैध रूप से लाल मुँह के बंदर को जाल में बंदी बनाकर और सेण्डबोआ सॉप को थैले में छुपाकर रखकर, विक्रय एवं व्यापार करने के प्रयोजन से उनका परिवहन कर रहे थे। सेण्डबोआ सॉप वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अनुसूची–iv का प्राणी है एवं लाल मुँह का बंदर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची–ii भाग–1 का वन्य प्राणी है, जो कि प्रतिबंधित श्रेणी के वन्य प्राणी है ?

–: विनिश्चय एवं विनिश्चय के आधार :–

विचारणीय प्रश्न के संबंध में

06. उक्त बिंदु पर मुकेश कुमार पटेल (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण की साक्ष्य में यह कथन किये है कि वह दिनांक 09.01.18 को क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स, होशंगाबाद में वनपाल के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनॉक को प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स, होशंगाबाद के निर्देशन में, वह पदमसिंह राजपूत वनरक्षक, कु0 वंदना शर्मा वनरक्षक, शासकीय वाहन एम.पी.05, ए.व्ही.3029 एवं 2839 के द्वारा राज्य स्तरीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स, कार्यालय भोपाल पहुॅचे। प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स, होशंगाबाद को मुखबिर के द्व ारा सूचना प्राप्त हुई थी कि दो व्यक्ति काले रंग की होण्डा इंटरनो स्कूटर नं0 एम. पी.–04, 0443 के द्वारा पंचशील नगर से हबीबगंज स्टेशन की ओर आ रहे है, उनके पास में दो मुँह वाला सॉप (सेण्डबोआ) है, जो उसे बेचने की फिराक में है

Cont. Page No. 8

श्रीमती ... मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

और बेच भी सकते है। उक्त सूचना के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा टीम गठित कर बताए गए स्थान पंचशील नगर से पत्रकार कालोनी नेहरू नगर रोड पर सर्चिंग की गई। सर्चिंग के दौरान करीब 8.45 रात्रि में काले रंग की होण्डा इटरनो स्कूटर देखी गई, जिसका नंबर सूचना अनुसार सही पाया गया। उसे एक व्यक्ति चला रहा था, जिसका नाम आसिफ बताया था एवं पीछे वाले व्यक्ति ने अपना नाम हरप्रसाद बताया था। हरप्रसाद के पास में एक प्लास्टिक का थैला रखा हुआ था, जिसकी चेकिंग करने पर उसमें दो मुंह वाला एक सॉप मिला एवं एक मोबाइल इनोवा का मिला। स्कूटी की डिक्की चेक करने पर उसमें वजन तौलने की एक स्प्रिंग बेलेंस मशीन, एक नापने का टेप डेढ़ मीटर का मिला एवं आसिफ के पास एक मोबाइल आईवाल का मिला। आरोपी हरप्रसाद से सेण्डबोवा वन्य प्राणी के स्वामित्व के संबंध में वैध दस्तावेज पूछे गये तो उसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं पाये गये। मौके पर से उक्त सांप की जप्ती किया जाना उक्त साक्षी द्वारा बताया गया है।

07. मुकेश कुमार पटेल (अ.सा.1) ने आगे अपने कथन में यह बताया है कि उसके द्वारा मौका पंचनामा प्रदर्श पी–1 तैयार किया गया। पदमसिंह राजपूत वनरक्षक के द्वारा उसके समक्ष जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–2 तैयार किया गया। आरोपी आसिफ के स्कूटर, स्प्रिंग बेलेंस और एक टेप, एक मोबाइल को जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–3 बनाया गया। आरोपी हरप्रसाद से एक मोबाइल की जप्ती की जाकर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–4 बनाया गया था। उसके समक्ष पदमसिंह राजपूत वनरक्षक के द्वारा मौका नक्शा प्रदर्श पी–5 तैयार करना एवं उस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना उक्त साक्षी द्वारा बताया गया है। दिनांक 10.01.18 को हरप्रसाद की निशादेही पर उनके निवास स्थल से एक लाल मुँह के बंदर एवं एक लोहे की चैन की जप्ती की गई थी, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी–6 चंद्रशेखर शर्मा वनपाल के द्वारा तैयार किया जाकर जप्तीनामा प्रदर्श पी–7 बनाया गया था। आरोपीगण हरप्रसाद एवं आसिफ के कथन प्रदर्श पी–8 एवं पी–9 लिये जाकर आरोपीगण को गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी–10 एवं पी–11 द्वारा गिरफ्तार किया गया। आरोपीगण की गिरफ्तारी की सूचना प्रदर्श पी–12 एवं पी–13 दी गई थी।

Cont. Page No. 9

श्रीमती ... फर्तारिया
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)

उक्त साक्षी ने प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स, होशंगाबाद के द्वारा उसके कथन प्रदर्श पी–14 लिये जाना अपने कथन में बताया है।

08. उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उन्हें टीम गठित करने का, सर्चिंग करने का कोई आदेश लिखित में नहीं दिया था। यह सही है कि उनकी टीम ने आरोपी हरप्रसाद और आसिफ को पंचशील नगर नेहरू नगर रोड से गिरफ्तार नहीं किया। यह सही है कि मौका पंचनामा प्रदर्श पी–1 उसके द्वारा तैयार किया गया है, उसमें पी.ओ.आर. नंबर नहीं लिखा गया है। यह भी स्वीकार किया है कि उसके द्वारा जो प्रदर्श पी–1 का पंचनामा बनाया गया था उसमें किसी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं कराये गये। प्रदर्श पी–2 का दस्तावेज चंद्रशेखर शर्मा द्वारा लेख किया गया था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–6 के दस्तावेज पर किसी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं कराये। यह सही है कि मौका नजरी नक्शा किसकी निशानदेही पर बनाया गया था, उस व्यक्ति का नाम, हस्ताक्षर नजरी नक्शा पर अंकित नहीं है। मौका पंचनामा प्रदर्श पी–1 के पश्चात् करीब 15 मिनट बाद नजरी नक्शा बनाया गया था। आरोपी हरप्रसाद और आसिफ को घटनास्थल से राज्य स्तरीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स कार्यालय भोपाल में रात्रि लगभग 10 बजे के बाद ले गये थे। यह भी स्वीकार किया है कि गिरफ्तारी पत्रक में किसी भी स्वतंत्र साक्षी को गवाह नहीं बनाया गया था।

09. पदमसिंह राजपूत (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण की साक्ष्य में यह कथन किये है कि वह दिनांक 09.01.2018 को क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स पर फारेस्ट गार्ड के पद पर पदस्थ था। उसे वरिष्ठ अधिकारी से आदेश मिले थे कि उसे तुरंत भोपाल जाना है। वह और मुकेश पटेल वनपाल भोपाल गये थे। वहां पर उन्हें बताया गया कि दो व्यक्ति सेन्डवोआ सांप को बेचने वाले है, तो वहां पर हम लोगों का दल गठित किया गया था। दल में तीन–चार सदस्थ थे। उन्हें सूचना मिली थी कि पंचशील नगर, भोपाल से हबीबगंज की तरफ ये लोग सांप को बेचने जा रहे है, तो वहां पर वे लोग रैकी करने लगे। वहां पर बताए गए हुलिये के दो व्यक्ति, एक काले रंग की इटरनो स्कूटर, जिसका नंबर एम.पी. 04, एन.एन. 0443

Cont. Page No. 10

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

था, पर बैठकर हबीबगंज की तरफ आ रहे थे, उन लोगों ने स्कूटर को रोका और स्कूटर पर बैठे दोनों व्यक्तियों से नाम पूछा, तो एक ने अपना नाम हरप्रसाद पिता मुन्नालाल और दूसरे ने अपना नाम आसिफ पिता रईश खां बताया।

10. फिर उन लोगों ने दोनों व्यक्तियों की तलाशी ली, तो पीछे बैठे व्यक्ति हरप्रसाद के पास एक थैले में एक नग रेड सेन्डवोआ दो मुंह वाला सांप रखा हुआ था। फिर हरप्रसाद से पूछताछ की, सेन्डवोआ पूछने के संबंध में उनके पास कोई कागजात होना नहीं पाया गया। आसिफ की स्कूटर को चैक करने पर उसमें एक स्प्रैगल मशीन तौलने की, नापने का टेप, दोनों के पास एक–एक नग मोबाइल मिला था। मौके पर वनपाल मुकेश पाल के द्वारा उन लोगों के समक्ष कार्यवाही कर मौका पंचनामा प्रदर्श पी–1 तैयार किया गया था, जिसके बी से बी भाग पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। मौके पर उसके द्वारा हरप्रसाद से एक नग सेन्डवोआ सांप, एक थैला व एक मोबाइल जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–2 बनाया गया था। आरोपी आसिफ से एक मोबाइल, स्कूटर नं. एम.पी. 04, एन.एन. 0443, तौलने वाली मशीन, एक टेप जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–3 बनाया गया था। मौके पर मुकेश पटेल वनपाल के द्वारा घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी–5 का तैयार किया गया था, जिसके ए से ए भाग पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना बताया है।

11. साक्षी पदमसिंह राजपूत (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में आगे यह कथन किये है कि उसके द्वारा मौके पर पीओआर. काटा गया था, जो प्रदर्श पी–15 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आरोपी हरप्रसाद से जप्त मोबाइल जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी–4 पर ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर होना साक्षी ने बताया है। विवेचना के दौरान दिनांक 10.01.2018 को पंचशील नगर, भोपाल में आरोपी हरप्रसाद की निशादेही पर गये थे। हरप्रसाद के घर पर एक लाल मुंह का बंदर, जो लोहे की चैन से बंधा था, उसे अपनी सुपुर्दगी पर लिया था एवं बंदर व लोहे की चैन को उसके द्वारा जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–7 बनाया था एवं सुपुर्दगी पंचनामा प्रदर्श पी–6 पर बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनॉक 10.

Cont. Page No. 12

श्रीमती ... मुख्य ... मजिस्ट्रेट जिला नर्मदापुरम (म.प्र.) 13/12/2022

01.18 को ही जप्तशुदा सेन्डवोआ सांप एवं लाल मुंह के बंदर को स्वस्थ हालत में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में उनके अधिकारियों को वन्य प्राणी निमुक्त करने के लिए सौपा गया था, जिसका पंचनामा उसके द्वारा तैयार किया गया था, जो प्रदर्श पी–16 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर होना उक्त साक्षी ने बताया है। आरोपीगण को गिरफ्तार किया था, गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी–10 एवं पी–11 बनाया गया था।

12. उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उन लोगों ने आरोपीगण की तलाशी लेने से पहले उनकी स्वयं की व वाहन की जामा तलाशी आरोपीगण को नहीं दी थी। यह भी स्वीकार किया है कि जो स्कूटर एवं मोबाइल आसिफ से जप्त कर करना बता रहा हूं, उसके कोई कागजात आसिफ से जप्त नहीं किये।

13. जसवंत कुमार सिंह (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण की साक्ष्य में यह कथन किये है कि वह वनरक्षक के पद पर राज्य स्तरीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स भोपाल में पदस्थ रहने के दौरान उनके वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति काले रंग की स्कूटर से कोई वन जीव को लेकर जा रहे है। ये लोग पत्रकार कालोनी से हबीबगंज स्टेशन रोड की तरफ जा रहे थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर एक टीम गठित हुई थी। टीम के हेड मुकेश पटेल वनपाल थे। वे लोग पत्रकार कालोनी हबीबगंज वाली रोड पर पहुंचे और नाका बंदी की और चेकिंग कर रहे थे, जो पत्रकार कालोनी की ओर से हबीबगंज रोड पर काले रंग की स्कूटर पर दो व्यक्ति आ रहे थे, जिन्हें रोका और पूछताछ की, तो गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति ने उसका नाम आसिफ बताया था और पीछे बैठे व्यक्ति ने उनका नाम हरप्रसाद बताया था। उसके पास एक सफेद रंग का थैला था। थेले की जांच करने पर उसमें सेन्डबोवा दो मुंह का सांप मिला, जिसके संबंध में कोई कागजात नहीं होना बताया गया। गाड़ी की तलाशी लेने पर गाड़ी में रखा एक तौल कांटा और एक इंची टेप मिला था। मौके पर मौका पंचनामा प्रदर्श पी–1 बनाकर सभी चीजों को जप्त कर जप्त किया गया था। मौके पर ही आरोपी हरप्रसाद से एक नग

Cont. Page No. 12

श्री ... मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

रेड सेण्डबोवा दो मुंह का सांप एवं सफेद झोला जप्त किया था और एक मोबाइल फोन भी जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–2 बनाया गया था। आरोपी आसिफ से मौके पर स्कूटर, एक मोबाइल फोन, एक तौल कांटा और एक इंची टेप जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–3 व पी–4 बनाया गया था।दिनांक 10.01.18 को आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी–10 एवं पी–11 बनाया गया था।

14. प्रतिपरीक्षण में साक्षी जसवंत कुमार सिंह (अ.सा.3) ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसे मुखबिर द्वारा कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। यह कहना सही है कि नाकाबंदी एवं सर्चिंग करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को कोई लिखित आदेश या निर्देश नहीं दिये गये। यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–1, पी–10, पी–11, पी–2, पी–3 एवं पी–4 पर किसी भी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं है।

15. डॉ0 गुरूदत्त शर्मा (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण की साक्ष्य में यह कथन किये है कि वह दिनॉक 10.01.18 को सतपुड़ा टाईगर रिजर्व होशंगाबाद में पशु चिकित्सा अधिकारी शल्यज्ञ के पद पर पदस्थ था, तब प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय स्ट्राईक फोर्स, होशंगाबाद द्वारा उक्त दिनॉक को वन अपराध क्र0 28060/09 में जप्त वन्य प्राणी (जीवित अवस्था में) उसके समक्ष मय प्रतिवेदन के मेडीकल परीक्षण हेतु लाये गये थे। उसके द्वारा वन्यप्राणियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था, जो निम्नानुसार है :–

<u>वन्यप्राणी क्र01</u>– रेड सेण्डवोआ सांप था। यह वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची का IV प्राणी था, इसका वैज्ञानिक नाम ऐरिक्स जोहनाई था। उसके द्वारा जांचने पर उक्त सांप की लंबाई 97 सेमी. पाई गई थी तथा वजन 500 ग्राम पाया गया।

<u>वन्यप्राणी क्र02</u>– यह एक लाल मुंह का बंदर था, जिसका वैज्ञानिक नाम मकाका मुलेटा था। यह वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची II भाग–1 का प्राणी है। उसके द्वारा परीक्षण करने पर इसकाव वजन 9.5 कि.ग्रा. पाया गया।

Cont. Page No. 13

13/12/2022
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला

अभिमत— उक्त दोनों वन्यप्राणी स्वस्थ्य और सक्रिय पाये गये तथा खुले वनक्षेत्र में मुक्त करने हेतु उपयुक्त पाये गये। उसके द्वारा दिया गया चिकित्सीय प्रतिवेदन प्रदर्श पी–17 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। जांच उपरांत दोनों वन्यप्राणियों को प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय स्ट्राईक फोर्स होशंगाबाद को वापस किये गये।

16. उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा सेण्डवोआ और बंदर की जो जांचे की गई है, उसके संबंध में कोई भी रिपोर्ट उसके द्वारा नहीं बनाई गई। यह भी सही है कि जब दोनों वन्यप्राणी जांच हेतु उसके समक्ष लाये गये थे, तब स्वस्थ्य अवस्था में थे। यह भी स्वीकार किया है कि उसने अपनी परीक्षण रिपोर्ट में वन्यप्राणियों की आयु के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया।

17. संदेश माहेश्वरी (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण की साक्ष्य में यह कथन किये है कि दिनॉक 10.01.18 को प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स, होशंगाबाद के पद पर पदस्थ रहने के दौरान दिनॉक 10.01.18 को मौका पंचनामा प्रदर्श पी–6 की कार्यवाही उसके समक्ष हुई थी। आरोपी हरप्रसाद की निशानदेही पर उसके निवास स्थान पंचशील नगर, भोपाल से लाल मुंह का बंदर वन्यप्राणी जो लोहे की चैन से बंध था, को जप्त कर वन दल द्वारा सुपुर्द लिया गया था तथा बंदर को पिंजरे में रखा गया था। उसके समक्ष आरोपी हरप्रसाद प्रदर्श पी–8 एवं आरोपी आसिफ खान प्रदर्श पी–9 ने उनके द्वारा किए गए अपराध के संबंध में पूछताछ कर बयान लिये गये थे। साक्षी मुकेश कुमार पटेल के बयान प्रदर्श पी–14, पदमसिंह राजपूत के बयान प्रर्दा पी–26 एवं जसवंत कुमार सिंह के बयान प्रदर्श डी–1 ने उनके कथन उसके समक्ष दिये थे।

18. उक्त साक्षी ने अपने कथन में आगे यह बताया है कि प्रकरण में जप्त वन्यप्राणी सेण्डवोआ तथा लाल मुंह के बंदर को मेडिकल परीक्षण कराये जाने बावत्, वन्यप्राणी पशु चिकित्सक सतपुड़ा टाईगर रिजर्व होशंगाबाद को प्रतिवेदन

Cont. Page No. 14

13/12/2020
श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

प्रदर्श पी–18 भेजा था। प्रकरण में जप्त उक्त वन्यप्राणी सेण्डवोआ और लाल मुंह के बंदर को वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल के रेस्क्यू सेंटर में निर्मुक्त करने बावत् न्यायालय को आवेदन प्रदर्श पी–21 दिया था। उसके उपरांत न्यायालय के आदेश मिलने के बाद संचालक वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल को उक्त वन्यप्राणियों सहित प्रतिवेदन प्रदर्श पी–22 दिया था। उसके द्वारा प्रकरण में जप्त वन्यप्राणी सेण्डवोआ, जो वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची IV का वन्यप्राणी है, के संबंध में प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–19 दिया था। इसी प्रकार लाल मुंह का बंदर के संबंध में प्रमाण–पत्र प्रदर्श पी–20 दिया था। उक्त साक्षी ने प्रकरण में आसिफ खान एवं हरप्रसाद से जप्त मोबाइल को फॉरेसिंक जांच हेतु भेजे जाने के लिए प्रभारी अधिकारी राज्य स्तरीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स भोपाल को प्रतिवेदन प्रदर्श पी–23 दिया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। इसी प्रकार प्रकरण में जप्त वाहन एम.पी.04, एन.एन. 0443 के वाहन स्वामी के संबंध में प्रतिवेदन प्रदर्श पी–24 दिया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके उपरांत उक्त वाहन के स्वामी अतीक उर रहमान भोपाल को प्रतिवेदन प्रदर्श पी–25 दिया था। उसके द्वारा आरोपीगण हरप्रसाद एवं आसिफ खान के विरूद्ध अपराध किया जाना पाये जाने से उनके विरूद्ध वन्यप्राणी अधिनियम, 1972 की धारा 9,39, 44,48ए, 50,51 के अंतर्गत परिवाद पत्र तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

19. बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण किए जाने पर संदेश माहेश्वरी (अ.सा.5) ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने टीम गठित करने के संबंध में कोई लिखित निर्देश जारी नहीं किये। उसने टीम गठित करने के दौरान प्रभारी अधिकारी राज्य स्तरीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स, से चर्चा की थी एवं निर्देश प्राप्त किये थे। यह भी स्वीकार किया है कि परिवाद पत्र उसके द्वारा बनाया गया था। यह सही है कि उसने परिवाद प के साथ टाटा टेलको वाहन 2839 की लॉग बुक पेश नहीं की। यह भी सही है कि मौक पंचनामा में कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं बनाया। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वाहन हरप्रसाद अथवा आसिफ का है, इस संबंध में उसने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया

Cont. Page No. 15

श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

है। यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–5 का नक्शा तैयार हुआ था तब वह वहा पर नहीं था। यह भी स्वीकार किया है कि उसने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है कि आसिफ से जप्त मोबाइल उसी के नाम का है।

20. आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि आरोपीगण को वन विभाग द्वारा जबर्दस्ती उनके वाहन में बिठा लिया गया है। आरोपीगण द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध कारित नहीं किया है। आरोपीगण निर्दोष है। वन विभाग की क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स द्वारा झूठी कार्यवाही की गई है।

21. बचाव पक्ष की ओर से अपने तर्क के समर्थन में आरिफ खान (ब.सा. 01) एवं नसरीन खान (ब.सा.2) के कथन कराये गये है। आरिफ खान (ब.सा.1) ने अपने कथन में यह बताया है कि वह घटना के समय पंचशील नगर भोपाल में रफीक भाई के किराये के मकान में निवासरत था। वह ड्राईवरी का कार्य करता है। वह आरोपी आसिफ को जानता है, उसकी पंचशील नगर भोपाल में किराने की दुकान है और वह लाईट का काम भी करता है। वह ओलाकेप चला रहा था, तभी पंचशील नगर के रास्ते में आसिफ मिला था। आरोपी आसिफ जब चाय की दुकान के पास से निकला तो आगे एक बुलेरो गाड़ी आई और आसिफ को बैठाकर ले गयी। थोड़ी देर बाद वह भी उसकी दूसरी बुकिंग पर चला गया। फिर शाम को पता चला कि आसिफ भाई गायब हो गये है, तो उसने उनके घरवालों को बताया कि एक गाड़ी वाले आसिफ को बैठाकर ले गये है। उसके बाद पता चला कि पुलिस वाले आसिफ को पकड़कर ले गये है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि वह चाय की दुकान पर जहां खड़ा था, वहां से आसिफ करीब 50 मीटर की दूरी पर था। यह कहना सही है कि अचानक गाड़ी आई और आसिफ को पकड़कर बैठाकर ले गई। आसिफ को किसने पकड़ा और किस केस में पकड़ा उसे जानकारी नहीं है। अर्थात् उक्त साक्षी को केवल इतना पता है कि एक बुलेरो गाड़ी आई और आसिफ को पकड़कर ले गई। उसे यह भी नहीं पता कि आरोपी आसिफ को किसलिए पकड़ा था। ऐसी स्थिति में आरोपी आसिफ की घटनास्थल पर

Cont. Page No. 16

श्रीमती [illegible] मिश्रा
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

उपस्थिति स्वयं बचाव साक्षी के कथन से प्रकट होती है। उक्त बचाव साक्षी के कथन से आरोपीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

22. इसी प्रकार बचाव पक्ष की ओर से नसरीन खान (ब.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में यह बताया है कि वह न्यायालय उपस्थित आरोपी हरप्रसाद को जानती है। वह मकान निर्माण के काम में मजदूरी का काम हरप्रसाद के साथ करती है। वह हरप्रसाद के साथ वर्ष 2006 से मजदूरी का काम कर रही है। 09 जनवरी 2018 को वह और हरप्रसाद छोला से मिनी बस से काम करते वापस आये और पत्रकार कालोनी के पास उतरे और उनके घर बलवीर नगर जा रहे थे। पत्रकार कालोनी के सामने चेकिंग हो रही थी फारेस्ट वाले चेकिंग कर रहे थे।उन लोगों ने बहुत से लोगों को रोका था। उससे बोले कि तुम घर जाओ और हरप्रसाद और 10–12 लोगों को गाड़ी में बैठाकर ले गये। हरप्रसाद आपराधिक व्यक्ति नहीं है। तीन–चार दिन बाद उसे पता चला कि हरप्रसाद को जेल में बंद कर दिया है। उसने कोई अपराध नहीं किया। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह बताया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि हरप्रसाद को फारेस्ट वालों ने क्यों पकड़ा और किए लिए पकड़ा था। इस प्रकार उक्त बचाव साक्षी के कथन से भी आरोपी हरप्रसाद की घटनास्थल पर उपस्थिति की पुष्टि होती है। यदि आरोपी हरप्रसाद को झूठे केस में बंद कर दिया था तो उक्त साक्षी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को कोई शिकायत क्यों नहीं की गई, जबकि आरोपी हरप्रसाद के साथ काम करती है और उसे वर्ष 2006 से जानती है। उक्त बचाव साक्षी की ओर से अपनी साक्ष्य के दौरान ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है कि आरोपी हरप्रसाद को उक्त प्रकरण में वन विभाग द्वारा झूठा फसाया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के कथन का लाभ भी आरोपी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

23. प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध घटना दिनांक 09.01.2018 को हबीबगंज स्टेशन के पास पत्रकार कालोनी, नेहरू नगर रोड, भोपाल के पास अन्य सहयोगी के साथ मिलकर एक नग सेण्डबोआ सांप और एक लाल मुंह का बंदर, जो कि प्रतिषिद्ध श्रेणी के वन्य प्राणी होकर, शासकीय सम्पत्ति है, को बिना किसी

Cont. Page No. 17

श्रीमती ... 13/12/2019

अनुज्ञप्ति के, उनको जंगल से पकड़कर (शिकार कर) अवैध रूप से लाल मुँह के बंदर को जाल में बंदी बनाकर और सेण्डबोआ सॉप को थैले में छुपाकर रखकर, विक्रय एवं व्यापार करने के प्रयोजन से उनका परिवहन कर रहे थे। सेण्डबोआ सॉप वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अनुसूची iv का प्राणी है एवं लाल मुँह का बंदर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची ii भाग–1 का वन्य प्राणी है, जो कि प्रतिबंधित श्रेणी के वन्य प्राणी है, का आरोप है।

24. वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18–क के प्रावधानों के अंतर्गत ''जब राज्य सरकार धारा–18 की उपधारा (1) के अधीन उस उपधारा के अधीन किसी आरक्षित वन या राज्यक्षेत्रीय जल क्षेत्र के अंतर्गत न आने वाले किसी क्षेत्र को अभयारण्य के रूप में गठित करने के लिए अपने आशय की घोषणा करती है, तब धारा 27 से धारा–33क के उपबंध तत्काल प्रभावी होंगे।'' वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम की धारा 38(फ)(V) के प्रावधानों के अंतर्गत–

(1) ''राज्य सरकार, व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिश पर किसी क्षेत्र को व्याघ्र आरक्षिति के रूप में अधिसूचित करेगी।

(2) इस अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2), धारा 27 की उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 30, धारा 32 तथा धारा 33 के खण्ड (ख) और खण्ड (ग) के उपबंध यथाशक्य व्याघ्र आरक्षिति के संबंध में लागू होंगे, जैसे वे किसी अभ्यारण्य को लागे होते हैं। ''

25. आरोपीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क दिया गया है कि गेमरेंज अधिकारी संदेश माहेश्वरी (अ.सा.5) को उक्त अधिनियम की शक्तियों के अंतर्गत परिवाद पेश करने की अधिकारिता नहीं है। वह परिवाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है। उक्त संबंध में वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 55(ग) के अंतर्गत गेमरेंज अधिकारी द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया है। मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना क्र. एफ–15–29–2001–X–2, दिनांक 22.01.2002 के द्वारा धारा 55(ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी रेंज आफिसर को सक्षम

Cont. Page No. 18

श्रीमती ...
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने की अधिकारिता दी गई है। अतः आरोपीगण की ओर से दिया गया तर्क मान्य योग्य नहीं है।

26. प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि–

क्या अभियुक्तगण द्वारा घटना दिनांक को अन्य सहयोगी के साथ मिलकर एक नग सेण्डबोआ सांप और एक लाल मुंह का बंदर, जो कि प्रतिषिद्ध श्रेणी के वन्य प्राणी होकर, शासकीय सम्पत्ति है, को बिना किसी अनुज्ञप्ति के, उनको जंगल से पकड़कर (शिकार कर) अवैध रूप से छुपाकर रखकर, विक्रय एवं व्यापार करने के प्रयोजन से उनका परिवहन कर रहे थे ?

27. इस संबंध में अभियुक्तगण द्वारा साक्षी मुकेश कुमार पटेल (अ.सा. 01) एवं साक्षी वंदना शर्मा के समक्ष कथन किये गये, संस्वीकृत कथन के अतिरिक्त अन्य कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य नहीं है। बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उक्त एकल संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। उक्त अधिनियम में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा–50 की उपधारा–8 एवं 9 अवलोकनीय है। धारा–50 की उपधारा–8 के अनुसार– "तत्सम्य प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी कोई अधिकारी वन प्राणी परिरक्षण के सहायक संचालक या (इस बारे में राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सहायक वन संरक्षक से अनिम्न श्रेणी का अधिकारी) इस अधिनियम के किसी उपबंध के विरूद्ध किसी अपराध में अन्वेषण करने के प्रयोजनों से निम्नलिखित शक्तियां रखेंगे–

"(ए) तलाशी वारंट जारी करना,

(बी) गवाहन की हाजरी कराने पर बल देना,

(सी) दस्तावेजों और महत्वपूर्ण वस्तुओं की खोज करने और उन्हें पेश करने पर विवश करना और

Cont. Page No. 19

श्रीमती [illegible] कटारिया
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला [illegible] (म.प्र.)

(डी) साक्ष्य को ग्रहण करना तथा अभिलिखित करना।''

28. धारा–50 की उपधारा–9 के प्रावधानों के अंतर्गत ''उपधारा–8 के क्लॉज–डी में अभिलिखित की गई कोई साक्ष्य मजिस्ट्रेट के समक्ष पश्चात्‌वर्ती विचारण में ग्राह्‌य होगी, परंतु यह कि उसे अभियुक्त के समक्ष लिया गया हो।'' इस प्रकार अधिनियम की धारा–50 की उपधारा–8 एवं 9 के प्रावधानों के अंतर्गत यदि एसीएफ रेंक का वन अधिकारी का कोई साक्ष्य ग्राह्‌य करती है अथवा अभिलिखित करता है तो उक्त साक्ष्य को धारा–9 के अंतर्गत अन्य पश्चात्‌वर्ती विचारण में ग्राह्‌य किया जा सकता है।

29. धारा–50(8) वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में वर्ष 2003 में संशोधन किया गया है। संशोधन के अनुसार सहायक संचालक वन्य प्राणी संरक्षण या अन्य कोई अधिकारी जो सहायक वन संरक्षक अनिम्न पद का न हो, और जिसे राज्य सरकार द्वारा इस हेतु अधिकृत किया गया है, साक्ष्य ले सकता है और अभिलिखित कर सकता है।

30. उपरोक्त संपूर्ण अभियोजन साक्षीगण के कथन में अभियुक्तगण द्वारा घटना दिनांक को अन्य सहयोगी के साथ मिलकर एक नग सेण्डबोआ सांप और एक लाल मुंह का बंदर, जो कि प्रतिषिद्ध श्रेणी के वन्य प्राणी होकर, शासकीय सम्पत्ति है, को बिना किसी अनुज्ञप्ति के, उनको जंगल से पकड़कर (शिकार कर) अवैध रूप से छुपाकर रखकर, विक्रय एवं व्यापार करने के प्रयोजन से उनका परिवहन करने में की गई स्वीकारोक्ति एवं उक्त कथन के आधार पर किए गए जप्ती पंचनामा एवं नजरी नक्शा की कार्यवाही प्रमाणित है। अभियुक्तगण की स्वीकारोक्ति कथन वन अधिकारी वन विभाग के समक्ष दिये गये है, जो कि साक्ष्य में ग्राह्‌य है। इस संबंध में माननीय केरला उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत **<u>फारेस्ट रेंज आफिसर चुंगाधारा रेंज वि0 अप्पू बकर एवं अन्य 1989 क्रिमिनल ला जर्नल 2038</u>** अवलोकनीय है। इसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ''वन विभाग के अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं है, इसलिए उनके समक्ष किए गए स्वीकारोक्ति कथन साक्ष्य में ग्राह्‌य है। वन्य प्राणी (संरक्षण)

Cont. Page No. 20

श्रीमती श्रीवर्मा कटारिया
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

अधिनियम, 1972 में फारेस्ट आफिसर पर विनिर्दिष्ट संदर्भों में केवल पुलिस अधिकारी के पॉवर दिए गए है तथा पुलिस अधिकारी की सभी शक्तियां नहीं दी गई है। इसलिए उनके समक्ष की गई अपराध की स्वीकारोक्ति से धारा 25 साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होगी और धारा 25 साक्ष्य अधिनियम बाधक नहीं बनेगी।''

31. अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वे निर्दोष है। उन्हें झूठा फसाया गया है। अभियुक्तगण को झूठा फसाये जाने का कोई आधार अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। गश्तीदल वन विभाग के सभी सदस्य शासकीय कर्मचारी, अधिकारी है। उनकी अभियुक्तगण से कोई रंजिश प्रमाणित नहीं है। वन विभाग के कर्मचारी द्वारा लोक सेवक के कर्तव्य के निर्वहन में कार्य किया गया है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्तगण को झूठा फसाया गया है।

32. वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा–9 यह उपबंधित करती है कि ''कोई व्यक्ति कोई वन्य प्राणी तथा शेड्यूल I,II,III एवं IV में सम्मिलित है, अधिनियम 11, 12 के प्रावधानों को छोड़कर शिकार नहीं करेगा, केवल उपधारा–5 के अनुसार प्रदत्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन और उसके अनुसार ही करेगा। उक्त अधिनियम की धारा–27 अभ्यारण्य में अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाता है।

33. हस्तगत प्रकरण में वन विभाग द्वारा अभियुक्तगण घटनास्थल पर उपस्थित थे। अभियोजन साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में यह बताया है कि वरिष्ठ अधिकारी से आदेश मिलने पर वह भोपाल गये थे। वहां पर पंचशील नगर, भोपाल में दो व्यक्ति, एक काले रंग की इटरनो स्कूटर, जिसका नंबर एम.पी. 04, एन.एन. 0443 था, पर बैठकर हबीबगंज की तरफ आ रहे थे, उन लोगों ने स्कूटर को रोका और स्कूटर पर बैठे दोनों व्यक्तियों से नाम पूछा, तो एक ने अपना नाम हरप्रसाद पिता मुन्नालाल और दूसरे ने अपना नाम आसिफ पिता रईश खां बताया। फिर दोनों व्यक्तियों की तलाशी ली, तो पीछे बैठे व्यक्ति हरप्रसाद के पास एक थैले में एक नग रेड सेन्डवोआ दो मुंह वाला सांप रखा हुआ था। हरप्रसाद से पूछताछ

Cont. Page No. 21

3/12/2022
श्रीमती ... वर्मा कटारिया
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला ...

की, सेन्डवोआ पूछने के संबंध में उनके पास कोई कागजात होना नहीं पाया गया। आसिफ की स्कूटर को चैक करने पर उसमें एक स्प्रैगल मशीन तौलने की, नापने का टेप, दोनों के पास एक–एक नग मोबाइल मिला था। मौके पर कार्यवाही कर मौका पंचनामा प्रदर्श पी–1 तैयार किया गया था।

34. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–133 के अंतर्गत सह अभियुक्त, अपराधी अभियुक्त के विरूद्ध सक्षम साक्षी होता है। प्रकरण में जप्तशुदा सांप एवं बंदर वन्य प्राणी होकर, शासकीय सम्पत्ति है, को बिना किसी अनुज्ञप्ति के, उनको जंगल से पकड़कर (शिकार कर) अवैध रूप से लाल मुॅह के बंदर को जाल में बंदी बनाकर और सेण्डबोआ सॉप को थैले में छुपाकर रखकर, विक्रय एवं व्यापार करने के प्रयोजन से उनका परिवहन कर रहे थे। सेण्डबोआ सॉप वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अनुसूची iv का प्राणी है एवं लाल मुॅह का बंदर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची ii भाग–1 का वन्य प्राणी है, जो कि प्रतिबंधित श्रेणी के वन्य प्राणी है।

35. अतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के आधार पर, अभियोजन अपने मामले को अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा घटना दिनॉक 09.01.2018 को हबीबगंज स्टेशन के पास पत्रकार कालोनी, नेहरू नगर रोड, भोपाल के पास अन्य सहयोगी के साथ मिलकर एक नग सेण्डबोआ सांप और एक लाल मुंह का बंदर, जो कि प्रतिषिद्ध श्रेणी के वन्य प्राणी होकर, शासकीय सम्पत्ति है, को बिना किसी अनुज्ञप्ति के, उनको जंगल से पकड़कर (शिकार कर) अवैध रूप से लाल मुॅह के बंदर को जाल में बंदी बनाकर और सेण्डबोआ सॉप को थैले में छुपाकर रखकर, विक्रय एवं व्यापार करने के प्रयोजन से उनका परिवहन कर रहे थे। सेण्डबोआ सॉप वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अनुसूची iv का प्राणी है एवं लाल मुॅह का बंदर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची ii भाग–1 का वन्य प्राणी है, जो कि प्रतिबंधित श्रेणी के वन्य प्राणी है।

Cont. Page No. 22

13/12/2022
श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

36. परिणामस्वरूप अभियुक्तगण **हरप्रसाद एवं आसिफ खान** को आरोपित आरोप अंतर्गत 'धारा–2(16बी)9, 39, 44, 48ए, 50 का उल्लंघन होकर धारा 51(1) वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा–संशोधित, 2006) के आरोप के अंतर्गत दोषी पाते हुए **दोषसिद्ध** घोषित किया जाता है। कारित अपराध की प्रकृति व गंभीरता को देखते हुए अभियुक्तगण को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

37. अभियुक्तगण को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने के लिए प्रकरण थोड़ी देर बाद पेश हो।

13/12/2022

(श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

नर्मदापुरम (म.प्र.)

<u>पुनश्चः</u>–

38. अभियुक्तगण व अभियोजन को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्तगण द्वारा निवेदन किया गया कि अभियुक्तगण गरीब परिस्थिति के व्यक्ति है। वे वर्ष 2018 से विचारण का सामना कर रहे हैं। उनका यह प्रथम अपराध है। अभियुक्तगण आदतन अपराधी नहीं है। अतः उनके प्रति सद्भावना दिखाई जाये एवं कम से कम सजा से दण्डित किया जावें। अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण को कठोर से कठोर दंड दिए जाने का निवेदन किया गया।

39. अभियुक्तगण ने घटना दिनॉक कोनग सेण्डबोआ सांप और एक लाल मुंह का बंदर, जो कि प्रतिषिद्ध श्रेणी के वन्य प्राणी होकर, शासकीय सम्पत्ति है, को बिना किसी अनुज्ञप्ति के, उनको जंगल से पकड़कर (शिकार कर) अवैध रूप से लाल मुँह के बंदर को जाल में बंदी बनाकर और सेण्डबोआ सॉप को थैले में छुपाकर रखकर, विक्रय एवं व्यापार करने के प्रयोजन से उनका परिवहन कर रहे थे। जहां कि न्यूनतम कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किए जाने का प्रावधान विधि

Cont. Page No. 23

13/12/2022
श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

द्वारा किया गया हो, वहां अभियुक्तगण को दंडित किये जाने में उदारता बरतने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

40. अतः प्रकरण की उपरोक्त परिस्थितियों एवं कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्तगण **हरप्रसाद** एवं **आसिफ खान** को 'धारा– 2(16बी)9, 39, 44, 48ए, 50 का उल्लंघन होकर धारा 51(1) वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा–संशोधित, 2006) के अपराध के आरोप के अधीन प्रत्येक को **03 वर्ष का सश्रम कारावास** तथा **10,000/– रूपए (दस हजार रूपये)** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में, प्रत्येक अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास पृथक से भुगताया जावें।

41. प्रकरण में अभियुक्त **हरप्रसाद** विचारण के दौरान दिनांक **09.01.2018** से **10.03.2018** तक कुल **59** दिवस एवं अभियुक्त **आसिफ खान** विचारण के दौरान दिनांक **09.01.2018** से **24.03.2018** तक कुल **73** दिवस न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहे है, तत्संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. का प्रमाण–पत्र प्रकरण में संलग्न किया जावें तथा उक्त अवधि को मूल सजा में समायोजित किया जावे। प्रमाण–पत्र निर्णय का भाग रहेगा।

42. प्रकरण में जप्तशुदा वन्यप्राणी 01 सेण्डबोवा सांप एवं 01 लाल मुंह का बदर प्राकृतिक रहवास वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में निर्मुक्त किया गया है। शेष नापने वाला टेप, वजन तौलने वाली मशीन, प्लास्टिक थैला, लोहे की चैन मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किये जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे। शेष जप्तशुदा सम्पत्ति 02 मोबाइल (आईवॉल एवं इवोनी कंपनी का) एवं इटर्नो स्कूटर (होण्डा कंपनी) क्र0 एम.पी.04, एन.एन.–0443 के स्वामित्व के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा क्लेम नहीं किया गया है, अतः उक्त दो मोबाइल एवं स्कूटर अपील अवधि पश्चात्

Cont. Page No. 24

13/12/2022
श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

राजसात की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का आदेश मान्य किया जावे।

43. अभियुक्तगण हरप्रसाद एवं आसिफ जमानत पर है। उनके पूर्व जमानत, मुचलके निरस्त किये जाते है। अभियुक्तगण का सजा वारंट मय धारा 428 दप्रसं० के प्रमाण–पत्र के तैयार किया जाकर उसे सजा भुगताये जाने हेतु केन्द्रीय जेल, नर्मदापुरम भेजा जावे।

44. अभियुक्तगण को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

13/12/2022

(श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम (म.प्र.)

मेरे निर्देश पर टंकित।

13/12/2022

(श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम (म.प्र.)

दिनाँक—13 दिसम्बर, 2022

स्थानः—नर्मदापुरम, म0प्र0

REETU VERMA

Digitally signed by REETU VERMA
Date: 2022.12.13 17:46:47 +0530